तारीख हुक्म	
16/5/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/वादी/अप्राथी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यो मे व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/6/22 को पेश हो। रीडर
6/6/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/वादी/अप्राथी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यो मे व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/7/22 को पेश हो। रीडर
4/7/22	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार (प्रशिक्षण) किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 8/8/22 को पेश हो। रीडर
8/8/22	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार (प्रशिक्षण) किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 12/9/22 को पेश हो। रीडर
12-9-2022	वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-9-2022 को पेश हो।
16-9-2022	वकील वादी उप० है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर
33/2019 तारीख रजू तारीख निर्णय
14.2.2019 16.9.2022

रामस्वरूप पुत्र गोविन्दराम, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 हुकमसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी
1/2 हिम्मतसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी
1/3 रूमा देवी पत्नी रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी
——वादीगण

बनाम

1.यादराम पुत्र रामदयाल, बैरवा निवासी संजय कॉलोनी, रामदेव मंदिर के पास, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी कीखातेदारी की भूमि ख0न0 575 रकबा 48 एयर ग्राम चूली मे स्थित है। जिसमे वादी का 38/213 हिस्सा है। वादी की उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0न0 627 रकबा 14 एयर गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड के अनुसार चला आ रहा है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते के पश्चिम दिशा की ओर वादी की भूमि है तथा पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी न0 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 570/2114 रकबा 80 एयर का हिस्सा 5/16 स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य ख0न0 627 गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 जबरन अपनी खातेदारी मे सम्मलित कर प्लाट काटने पर आमादा है। मना करने पर वादी को धमकी दी कि यहॉ कोई रास्ता रिकार्ड मे दर्ज नही है। उक्त रास्ते को वादी अपने आने जाने व कृषि साधनों को लाने ले जाने के काम मे लगातार प्रयोग मे लेता रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ख0न0 627 मे प्लाट काटकर बेचान करने पर कामयाब हो गया तो वादी को अपनी खातेदारी की भूमि आने जाने व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने मे काफी परेशानी का सामना करना पडेगा। वादी

उप जिला कलेक्टर

अपने बुजुर्गो के समय से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 25.1.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रास्ते मे प्लाटों की पत्थरगढी करने व वेचान कर रास्ते मे अवरोध पैदा करने से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादकरण उत्पन्न हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि ख0न0 627 गैर मुमकिन रास्ता ग्राम चूली मे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत पैदा नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त रास्ते को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान नही करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने वाबत प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 19.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 19.12.2019 को स्वयं उपस्थित हुआ एवं जबाब दावे के लिए समय चाहा। बार बार समय देने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावा प्रस्तुत नही किया एवं दिनांक 5.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर अदालत नही हुआ। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 580 ग्राम चूली प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 770 ग्राम चूली प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 1 ग्राम चूली प्रदर्श 5 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी हिम्मत सिंह के करायें।

विद्धान वकील वादी की बहस सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी प्रदर्श 5 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 627 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जिसके लिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता है। गैर मुमकिन रास्ते के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0

उनवान

रामस्वरूप पुत्र गोविन्दराम, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 हुकमसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी
1/2 हिम्मतसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी
1/3 रूमा देवी पत्नी रामस्वरूप, बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1.यादराम पुत्र रामदयाल, बैरवा निवासी संजय कॉलोनी, रामदेव मंदिर के पास, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा

दावा बावत् बेदखली मुकदमा नं. —33/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ....मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.9.2022 को जारी किया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फींस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

तारीख हुक्म	
16/5/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/6/22 को पेश हो। रीडर
6/6/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/7/22 को पेश हो। रीडर
11/7/22	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 8/8/22 को पेश हो। रीडर
8/8/22	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 12/9/22 को पेश हो। रीडर
12-9-2022	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-9-2022 को पेश हो।
16-9-2022	वकील प्रार्थी उप० है। मूल वाद का निर्णय हो जाने के कारण मूल वाद के निर्णय की रोशनी में प्रस्तुत पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो रखें वास्ते अमल मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)